तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23.7.24	वकील डिक्रीदार उपस्थित। माननीय अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन सम्भागीय अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहाँ वांछित डिक्री की अपील होने के कारण मूलवाद पत्रावली माननीय न्यायालय मे तलब की जा चुकी है माननीय न्यायालय के अपील प्र०सं० 26/2023 अनवार सरकार बनाम गौरीशंकर है और इस न्यायालय की मूल पत्रावली पत्रांक 310 दिनांक 20.6.2024 से माननीय न्यायालय को भेजी जा चुकी है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय आने तक इजराय प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाती है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी पंदरलाला कांस्पोटिया

प्रकरण संख्या 45 / 2016

उमुक:–

गौरीशंकर पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर

.... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर

......................प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

उपस्थिति : 1–श्री सुरेश कटारा एडवोकेट वादी
2–पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण

दिनांक 22.07.2019

निर्णय

वादी ने यह वाद न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 282 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 262 / 1039 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर में स्थित है । यह कि विवादित आराजी पर वादी का खसरा नम्बर 282 पर 1966 का कब्जा होने की बजह से आवंटन समिति द्वारा दिनांक 6.8.69 को आवंटन किया गया है तभी से वादी मौके पर बदस्तूर काबिज है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा विवादित आराजी का गैरखातेदार काश्तकार अंकित है । वादी ने आवंटन नियमों की शर्तो का पालन किया है आज दिनांक विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा है 10 साल पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज रहा जबकि खातेदार का इन्द्राज होना चाहिऐ था । वादी ने उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर उनके गैरखातेदारी की जगह खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण से निरन्तर निवेदन करते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं की और ना ही विवादित आराजी पर वादी का बतौर खातेदार कागजात राजस्व में इन्द्राज ही किये । वादी ने आराजी विवादग्रस्त का स्वंय को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने के लिये प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 9.3.11 को विधिक नोटिस दिया था बाबजूद नोटिस तामील प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर उसके राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार के अंकित नहीं किया है । अतः वादी ने यह वाद दायर कर विवादित आराजी में अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना की है।

सहायक कलक्टर [illegible]
धौलपुर (राज0)

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये । जबाब दावा पेश नहीं किया । दिनांक 23.06.2011 को जबाब दावा का अवसर बंद हो गया । वादीगण की ओर से गवाहन पी.डब्लू–1 गौरीशंकर, पी.डब्लू–2 शिवचरन के बयान मौखिक साक्ष्य में कराये । दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत 11 प्रस्तुत किये । साक्ष्य प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य में डी.डब्लू–1 प्रदीप राजौरिया पटवारी पटवार मण्डल पुरानी छावनी का बयान कराया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । वादी ने कब्जा अपना इसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया है । आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है । खसरा गिरदावरी की नकले पेंश नहीं की है । खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । दिनांक 01.09.2011 को दावा खारिज कर दिया ।

उक्त आदेश व डिकी दिनांक 01.09.2011 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के खिलाफ अपील वादी द्वारा अपील संख्या 122/2011 उनवानी गौरीशंकर बनाम सरकार न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में प्रस्तुत की । दिनांक 17.08.2017 को अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया कि प्रकरण पुनः परीक्षण कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित करें ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये । प्रतिवादीगण ने प्रकरण में जबाबदावा पेश किया जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुये कथन किया है कि राजस्व ग्राम पुरानी छावनी पेराफेरी क्षेत्र में आता है और वादी की आराजी खसरा नम्बर 262/1039 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर को आवंटन हुआ लेकिन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ । अतः जिला कलक्टर धौल्पुर के अनुमोदन के पश्चात् डी.एल.सी. के कीमत का 20 प्रतिशत जमा कराने बाद प्राप्त हो सकते है । विवादित आराजी पर वादी का मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण दावा पोषणीय नहीं है । दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया है इसलिये दावा काबिल खारिजी के है ।

तद्उपरान्त प्रकरण में निम्नप्रकर से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया आराजी खसरा नम्बर 262/1069 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा बाके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर को आवंटन कमेटी ने दिनांक 6.8.69 को वादी आवंटन किया था ।
2. आया वादी राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार अंकित है । करीब 50 साल से समस्त शर्तो आवंटन का पालन किया । अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ।
3. आया विवादित आराजी का वादी खातेदार घोषित कराकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करा पाने का अधिकारी है ।
4. आया राजस्व ग्राम पुरानी छावनी पैराफेरी क्षेत्र में आता है । इसका दावा पर क्या प्रभाव है ।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

5. आया वादी का मौके पर कब्जा नहीं है इसका दावा पर क्या प्रभाव है ।
6. आया दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया है इसका दावा पर क्या प्रभाव है ।
7. अनुतोष

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू–1 गौरीशंकर, पी. डब्लू.–2 शिवचरन के बयान कराये गये । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012–15 प्रदर्श–1, नकल प्रार्थना पत्र आवंटन प्रदर्श–2 ,नकल पट्टा प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 ,नकल मिलिस बन्दोबस्त सम्वत् 2028 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 –66 प्रदर्श–6, नोटिस 80 सी.पी.सी.प्रदर्श–7, रसीद रजिस्ट्री प्रदर्श–8 व 9, प्राप्ति रसीद प्रदर्श–10 व 11 ,नकल जमाबन्दी 2038–41 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–58 प्रदर्श–13,नकल जमाबन्दी 2059–62 प्रदर्श–14, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2006 प्रदर्श–15, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श–16, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–17,नकल खसरा सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–18, नकल खसरा सम्वत् 2035–2038 प्रदर्श–19, नकल खसरा सम्वत् 2040–2043 प्रदर्श–20, नकल खसरा सम्वत् 2043–2046 प्रदर्श–21, नकल खसरा सम्वत् 2051–2054 प्रदर्श–22, नकल खसरा सम्वत् 2059–2062 प्रदर्श–23, नकल खसरा सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–24, नकल खसरा सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श–25 पेश की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई उनके द्वारा मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 ताहिर कदीर पटवारी पटवार मण्डल पुरानी छावनी तहसील धौलपुर के बयान कराये है ।

बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गई । विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कहा कि वादी का विवादित आराजी पर सन् 1966 से कब्जा होने की बजह से वादी को विवादित आराजी दिनांक 06.08.1969 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई वादी विवादित आराजी का गैरखातेदार काश्तकार रेकार्ड में दर्ज है । गत खसरा नम्बर 282 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 262/1039 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर का आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06.08.1969 को वादी को आवंटन किया था तथा मौके पर कब्जा प्रदान किया । आवंटन शुदा आराजी पर तब से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है । बन्दोवस्त विभाग के खाता संख्या 184 ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर सम्वत् 2028 में गौरीशंकर पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी छावनी गैर खातेदार का इन्द्राज किया । वादी आवंटन के वक्त से राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार काश्तकार है । 40 साल बाद भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए समस्त आवंटन की शर्तो की पालना की है । वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस दिलवाया । बावजूद नोटिस प्रतिवादी ने वादी को विवादित आराजी पर खातेदार का इन्द्राज नहीं किया । वादी को विवादित

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे ।

पैरोकार सरकार ने अपने जबाब दावा की आपत्तियों को दोहराते हुये बहस की कि विवादित आराजी राजस्व ग्राम पुरानी छावनी पैरा फैरी क्षेत्र में आता है वादी को विवादित आराजी का आवंटन किया गया है । अभी तक खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हुये है । जिला कलक्टर के अनुमोदन के पश्चात डी.एल.सी. की कीमत का 20 प्रतिशत जमा कराने के पश्चात् ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है । वादी का मौके पर कब्जा नहीं है । दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. को नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया है। अतः दावा खारिज किया जावें।

अभय पक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । विवादित आराजी खसरा नम्बर गत 282 रकवा 2बीघा 10 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन दिनांक 06.08.1969 को वादी को आवंटन किया गया था आवंटी को मौके पर कब्जा दिनांक 12.11.1969 को दिया गया था । तहसील से पट्टा जारी किया गया था । नकल आवंटन प्रार्थना पत्र प्रर्दश –2 है। नकल जमावंदी सम्वत् 2012 –15 में खसरा नम्बर 282 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा किस्म हार खाकी काविल जरायत है । जो आवंटन योग्य है प्रर्दश –1 जमावंदी सम्बत् 2012–15 प्रार्थना पत्र आवंटन प्रर्दश–2 , नकल पट्टा प्रर्दश–3 से आवंटन विधिवत होना साबित है । गत खसरा नम्बर 282 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 262/1039 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा बन्दोबस्त ने कायम किया है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश–4 प्रस्तुत है । आवंटन के दौरान ही बंन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही थी । बन्दोबस्त विभाग ने ही हाल खसरा नम्बर 262/1039 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा किस्म बारानी सोमय बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर सम्वत् 2028 में गौरीशंकर पुत्र गजाधर कौम ब्राहम्ण साकिन देह गैर खातेदार का अंकन किया है । अतः वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भी कथन किया है । जिससे वादी का आवंटन भली भॉति सिद्ध है । अतः यह तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी नम्बर–2 व 5

उपरोक्त तनकियों का निर्णय एक साथ किया जाता है । यह है कि तनकी नम्बर 2 को साबित करने का भार वादी पर है । नकल खतौनी जमावंदी सम्वत् 2028 खाता संख्या 184 व वादी गौरीशंकर का नाम बतौर गैर खातेदार अंकन है । इसके पश्चात् नकल जमावंदी सम्वत् 2063 से 66 प्रदर्श– 06 , नकल जमावंदी सम्वत् 2038–41 प्रर्दश–12, नकल जमावंदी सम्वत् 2053 –58 प्रर्दश–13 , नकल जमावंदी सम्वत् 2059 –62 प्रर्दश–14 ,नकल जमावंदी आधार

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

वर्ष 2006 प्रदर्श –15 नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 –2070 प्रदर्श –16 , नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–17 है । नकल खसरा सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–18, नकल खसरा सम्वत् 2035–2038 प्रदर्श–19, नकल खसरा सम्वत् 2040–2043 प्रदर्श–20, नकल खसरा सम्वत् 2043–2046 प्रदर्श–21, नकल खसरा सम्वत् 2051–2054 प्रदर्श–22, नकल खसरा सम्वत् 2059–2062 प्रदर्श–23, नकल खसरा सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–24, नकल खसरा सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श–25 पेश की गई। खसरा से व साक्ष्य मौखिक पी.डब्लू–1 गौरीशंकर, पी.डब्लू–2 शिवचरन के बयान से 50 साल से कब्जा भली भॉति सिद्ध है । राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार का इन्द्राज है । आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया है । आवंटन की समस्त शर्तो का पालन करने के पश्चात् नियम 18 आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है । तहसीलदार द्वारा 50 साल के अर्न्तगत आवंटन नियमों का पालन करने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये है । इसलिये न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पडा । अतः वादी ने कब्जा भली भॉति सिद्ध किया है और समस्त शर्तो का पालन किया है । स्वतः ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते है । वादी को विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी.2016 (I) पेज 559 व पेज 341 व पेज 83 में यह मत व्यक्त किया है । प्रतिवादी के गवाह डी.डब्लू.–1 ताहिर कदीर पटवारी पटवार मण्डल पुरानी छावनी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वादी राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार काश्तकार अंकित है । अतः वादी को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । यह तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है ।

<u>तनकी नम्बर –3 व 4</u>

उपरोक्त दोनों तनकियों का निर्णय हम एक साथ किया जाना उचित समझते है क्योंकि तनकी नम्बर –3 व 4 एक दूसरे से सम्बन्धित है । वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है तो राजस्व अभिलेख में वादी अपने नाम का खातेदार काश्तकार का अंकन कराने का अधिकारी हो जाता है परन्तु राजस्व ग्राम पुरानी छावनी पैरा फैरी क्षेत्र में आता है । इसलिये खातेदारी दिये जाने से पूर्व राजस्व (ग्रप–6)के परिपत्र कमांक एफ.9(15)Rev-vi/2005/33 दिनांक 21.06.2007 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर कार्यवाही की जावे। इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप वहक वादी व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

<u>तनकी नम्बर –6</u>

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है । दावा दायरी से पूर्व वादी ने धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रतिवादीगण को दिया है । नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. प्रदर्श –7 है । रसीद रजिस्ट्री प्रर्दश–8 व 9 है। रसीद प्राप्ति रजिस्ट्री प्रदेश–10 व 11 है । इससे यह साबित है कि दावा दायरी से पूर्व वादी ने नोटिस प्रतिवादीगण को दिया है । प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण को नोटिस नहीं दिया है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ वहक वादी तय की जाती है ।

अनुतोष –7

उपरोक्त तनर्क, नम्बर 1 लगायत 6 के विवेचन के अनुसार दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 262/1039 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है । राजस्व ग्राम पैरा फैरी क्षेत्र में होने के कारण नियमानुसार शुल्क जमाकर खातेदारी के इन्द्राज किए जावें । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(भंवरलाल कांसोटिया)
सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

नाम प्रार्थी ता० द० ता० तैयारी ता० ...
86 सुरेश... 3-12-19 5-12-19 C/- 5-12-19

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

पीठासीन अधिकारी :भंवरलाला कांसोटिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 45 / 2018
वमुकः–
गौरीशंकर पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर
.... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर

.......................प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

Rs 2 COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ व हाजरी श्री सुरेश कटारा एडवोकेट मिनजानिव वादीगण एवं पैरोकार सरकार मिनजानिव प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 262 / 1039 रकवा 2 बीघा 01 विस्वा बांके ग्राम पुरानी छावनी तहसील धौलपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है । राजस्व ग्राम पैरा फैरी क्षेत्र में होने के कारण नियमानुसार शुल्क जमाकर खातेदारी के इन्द्राज किए जावें ।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2019 को जारी की गई ।

Re 1 COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(भंवरलाल कांसोटिया)
सहायक कलक्टर (मु0)
धौलपुर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

86 सुरेश कटारा 3-12-19 5-12-19 5-12-19

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)